न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
026/2017 (GCMS 2017/00121)	01.12.2017	29.01.2021

अनवान

प्रकाश पिता उंकार जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी थमनिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोडेंट

–:: प्रथम अपील कार्यवाही 91 एल आर एक्ट निर्णय श्री न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय रावतभाटा प्रकरण संख्या 017/2017 निर्णय दिनांक 05.10.2017 बअनवान प्रकरण राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का मेघनिवास बनाम प्रकाश ::–

उपस्थिति :– श्री जितेन्द्र औझा अपीलांट
श्री भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) रेस्पोडेंट

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अप्रार्थी को आराजी का लगान 0.48 का 50 गुना 24.00 अक्षरे चौईस रूपये शास्ति आरोपित व भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश एवं 1 माह का सिविल कारावास का दंड का निर्णय न्याय, नियम व तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 का नोटिस जारी किया था, परंतु बिना सुनवाई के जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिए बिना ही सजा देने का व शास्ति देने का निर्णय प्रदान कर दिया, जो नियम विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। ग्राम थमनिया तहसील रावतभाटा की आराजी संख्या 53 के रकबा 0.16 पर अपीलांट द्वारा पत्थर की कोट बनाकर अतिक्रमण करना बताया है, परंतु बिना सुनवाई के साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिए बिना ही पटवारी गलत रिपोर्ट के आधार पर एक तरफा गलत निर्णय पारित कर दिया, जबकि न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए, जो नहीं कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पत्रावली निपटाने का कार्य किया है, जो उक्त निर्णय से स्पष्ट है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जिससे वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:24 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख सका। पटवारी हल्का की एकमात्र रिपोर्ट पर एक तरफा निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपीलांट ने कोई फसल नहीं हाकी है, पत्थर की कोट से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है, नही अपीलांट ने कोई पत्थर की कोट कराई है, जबकि अपीलांट जवाब पेश करने का अवसर चाहा किंतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब का अवसर दिए बिना ही 1 माह का कारावास व शास्ति से दंडित किए जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त निर्णय न्याय, नियम व तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट कोई पूर्व अतिक्रमी नहीं है, नही अपीलांट में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जा कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 1 माह का कारावास व शास्ति निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर अपील अपीलांट् दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार रावतभाटा के पत्रांक/राजस्व/2017/892 दिनांक 11.09.2017 से उनकी पत्रावली संख्या 017/2017 अनवानी सरकार बनाम प्रकाश अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। राजकीय अधिवक्ता की और से प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सीधे अपील पत्रावली किये जाने की ईश्तदुआ की गई, इस पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उज्र एतराज नहीं होना जाहिर किया गया।

इस पर पत्रावली में संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष की सहमति से कार्यवाही ड्रॉप की गई। इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि दिनांक 05.10.2017 की देरी निर्णय की जानकारी नहीं होने एवं तत्पश्चात् की देरी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने एवं विधिक सलाह प्राप्त करने से हुई है जिससे अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है एवं अपीलांट्स आदेश दिनांक 05.10.2017 की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट्स द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मियाद के रिवटल में निवेदन किया कि अपीलांट की पत्नि द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते उससे पूर्व ही उपस्थिति दर्ज कर निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं दी गई एवं ना ही किसी भी प्रकार का आदेश सुनाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट को नि[illegible]ांक 05.10.2017 की जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त नहीं हुई एवं इसी आशय का शपथ पत्र न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण जायदाद से संबंधित से ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अपील में प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है, एवं अपील अपीलांट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवार हल्का द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए, उसके संबंध में अपीलांट को कोई जिरह करने का अवसर नहीं देते हुए केवल मात्र एक तरफा बयान के आधार पर कब्जा होना मानते हुए बेदखली व जुर्माने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। पटवारी हल्का की एकमात्र रिपोर्ट पर एक तरफा निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपीलांट ने कोई फसल नहीं हाकी है, पत्थर की कोट से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है, नही अपीलांट ने कोई पत्थर की कोट कराई है, अतः अपील अपीलांट् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक अपास्त फरमाये जावें। इस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस पत्रावली में निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2017 प्रश्नगत आराजी पर लगातार अपीलांट्स द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। जिस पर अतिक्रमण किये जाने पर अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विधिक प्रावधानों के अध्यधीन सक्षम न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किया गया है, इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं होने से अपील अपीलांट् खारीज फरमाई जावें। इस पर बहस अपील के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट् ने निवेदन किया कि प्रश्नगत अपीलांट कोई पूर्व अतिक्रमी नहीं है, नही अपीलांट में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जा कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 1 माह का कारावास व शास्ति निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करावे, एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जल्दबाजी में बिना किसी साक्ष्य सबूतों को रिकार्ड पर लिये बगैर ही पारित कर दिया गया है अतः अपील अपीलांट् स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावलियों का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:24 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। अपीलांट् द्वारा प्रश्नगत आराजीयात पर अतिक्रमण किये जाने से इन्कार किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुख्ता दस्तावेज के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है। जिस पर अपीलांट् द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजीयात जिस पर अपीलांट् द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी करार दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.10.2017 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रश्नगत आराजीयात का अतिक्रमी करार दिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से विधिक भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को 1 माह सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होती है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.10.2017 में आंशिक हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.10.201 को संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार रावतभाटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2017 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रकाश पिता उंकार जाति गुर्जर निवासी थमनिया को दी गई 1 माह सिविल कारावास की सजा को उन्मोचित किया जाता है एवं शेष निर्णय को यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर पालना से अवगत कराया जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:24 IST
Reason: SelfAttested